उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या- **858**/2969/2025/41-1-2025-CN-1817446**/**2025
लखनऊ:दिनांक: 29 अक्टूबर,2025

शुद्धि-पत्र

जनपद अयोध्या में स्थित सियाराम किला का पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-846/2691/2025/41-1-2025-CN-1817446-2024, दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के प्रस्तर-4 में अंकित ''अनुदान संख्या-044 लेखा शीर्षक-54528010**4900-अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण** मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा'' के स्थान पर ''अनुदान संख्या-044 लेखा शीर्षक-54528010**4900-** उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा**'',** एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/ पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या ।
4. अपर आयुक्त (ग्रेड-**I**), वाणिज्य कर विभाग, अयोध्या मण्डल अयोध्या ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0) मुख्यालय , लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in